न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – श्री कनिष्क कटारिया, आई.ए.एस.

प्रार्थीया	बनाम	अप्रार्थीगण
शारदा पत्नी प्रेमाराम , जाति भील, निवासी आबूपर्वत		देवाराम पुत्र चुनाराम , जाति गरासिया, निवासी – केर माण्ड़वाड़ा, तहसील पिण्ड़वाड़ा व अन्य – 1

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 106 / 2021

दिनांक 09.05.2022

आदेश

यह कि प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र तहत धारा 251 A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया जिसे दिनांक 23.12.2021 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गयें। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामिल शुदा प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किये गये। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकन किया है कि प्रार्थीया के खातेदारी तथा कब्जे काश्त की राजस्व आराजी मौजा अचलगढ़, पटवार हल्का ओरिया, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आबूपर्वत में आयी है जिसके खसरा संख्या 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83 / 1,84, कुल किता 12 कुल रकबा 2.7200 हैक्टेयर क्षेत्रफल आयी हुई है। प्रार्थीया के खातेदारी की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के पूर्व दिशा में अप्रार्थीगण संख्या 1 के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 72 आयी हुई है। खसरा संख्या 72 के आगे पूर्व दिशा में पक्का रास्ता है। उक्त उत्तर–दक्षिण रास्ते से प्रार्थीया के उपरोक्त खसरा संख्या में आने जाने हेतु खसरा संख्या 72 के किनारे–किनारे होता पूर्व–पश्चिम में कच्चा रास्ता करीब 20 फीट चौड़ा रास्ता कदीमी से बना हुआ है। उक्त रास्ते का उपयोग व उपभोग प्रार्थी अपने पूर्व रसाधिकारीयों के जरिये करता आ रहा है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि में आने जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नही है। खसरा संख्या 72 में स्थित रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज नही होने से अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीया को रास्ते के उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहा है और वर्तमान में जोर जबरदस्ती कांटो की बाड़ लगाकर रास्ते को बंद कर दिया है। प्रार्थीया द्वारा पूर्व में उपयोग व उपभोग किये जा रहे खसरा संख्या 72 में स्थित रास्ता राजस्व रेकर्ड में रास्ते के रूप में इन्द्राज नही होने से अप्रार्थी संख्या एक ने वर्तमान में विधि विरूद्ध तरीके से बंद कर दिया है और बावजूद निवेदन अप्रार्थी संख्या एक रास्ता खोलने हेतु तैयार नही होने से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

अप्रार्थी संख्या 01 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि '' अप्रार्थी संख्या 01 ने वर्तमान में विधि विरूद्ध तरीके से बंद कर दिया है और बावजूद निवेदन अप्रार्थी संख्या 01 रास्ता खोलने हेतु तैयार नही होने से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुति का कारण पैदा हुआ है। अनुतोष पद में प्रार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी के खसरा संख्या 72 में से होकर निकलता है जिसकी चौड़ाई 20 फुट है को अविलम्ब खुलवा कर तथा उक्त रास्ते को राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज व तमीमी कराने के आदेश प्रदान करावें। '' प्रार्थी द्वारा रास्ता जिसे बंद किया गया है को खुलवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो प्रार्थी के अभिवचनों से स्पष्ट है। धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस न्यायालय को रास्ता खुलवाने का अधिकारी नही होने से यह प्रार्थना पत्र विधि अनुसार प्रथम दृष्टया ही न्यायालय के समक्ष परिपोषणीय नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है। खसरा संख्या 72 के आगे देवस्थान बोर्ड सिरोही के खसरा संख्या 101 से लेकर 112 तक की कृषि भूमि स्थित है जिस भूमि से होकर अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि में ही आवागमन का कोई रास्ता नहीं है तो प्रार्थीया की भूमि में आवागमन हेतु खसरा संख्या 72 की भूमि से होकर आवागमन हेतु मार्ग होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अतः [illegible] के अभाव में खारीज योग्य है। [illegible] स्टेट से प्राप्त जवाब में अंकित है कि प्रार्थीया [illegible] प्रेमाराम की भूमि के तीनों दिशाओ की ओर खसरा संख्या 72 अप्रार्थी [illegible] जाति गरासिया निवासी पिण्ड़वाड़ा की खातेदार भूमि है। मुख्य सड़क [illegible] से अप्रार्थी संख्या 1 देवाराम पुत्र चुनाराम व प्रार्थीया श्रीमती शारदा पत्नी प्रेमाराम की भूमि तक भी कोई रास्ता रेकर्ड [illegible] मार्ग नही है। मुख्य सड़क से अप्रार्थी व प्रार्थी की भूमि तक भी [illegible] अचलेश्वरजी महादेव स्था[illegible] व्यवस्थापक देवस्थान बोर्ड सिरोही की निजी संपत्ति हिस्सा पूर्ण की खातेदारी भूमि है, जिसमें कोई कदीमी रास्ता भी राजस्व रेकर्ड दर्ज नही है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के खाते में दर्ज गै.मु. सड़क ख.नं. 133 से प्रार्थीया की खातेदारी तक आने–जाने का पहुंच व निकटतम मार्ग के बीच के खसरों के खातेदारान को पक्षकार नही बनाया गया है। दिनांक 09.05.2022 को प्रार्थीया व उसके अधिवक्ता अनुपरिथत रहे। हमने अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanishak Kataria
Date: 2022.06.06 15:58:44 IST
Reason: SelfAttested

हमने अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। यह प्रकरण प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 के खसरा संख्या 72 में स्थित बंद रास्ते को खुलवाने का है, जिसका राजस्व रेकर्ड में कोई अंकन भी नही है। भू.अ.निरीक्षक आबूपर्वत की रिपोर्ट के अनुसार मुख्य सड़क से अप्रार्थी व प्रार्थी की भूमि तक भी श्री अचलेश्वरजी महादेव स्थान देह व्यवस्थापक देवस्थान बोर्ड सिरोही की निजी संपत्ति हिस्सा पूर्ण की खातेदारी भूमि है, जिसमें कोई कदीमी रास्ता भी राजस्व रेकर्ड दर्ज नही है जबकि प्रार्थीया ने केवल अप्रार्थी संख्या 1 के खसरा संख्या 72 में बंद रास्ते को खुलवाने के लिये प्रार्थना पत्र लगाया है व सार्वजनिक निर्माण विभाग के खाते में दर्ज गै.मु. सड़क ख.नं. 133 से प्रार्थीया की खातेदारी तक आने–जाने का पहुंच व निकटतम मार्ग के बीच के खसरों के खातेदारान को पक्षकार नही बनाया है तथा बंद रास्ते को खुलवाने की अधिकारिता तहसीलदार को है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम परिपोषनीय नही होने से खारिज किया जाता है। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

9.5.22

(कनिष्क कटारिया) I.A.S.
सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanishak Kataria
Date: 2022.06.06 15:38:44 IST
Reason: SelfAttested